

29/12/2020

आज घट पत्रावली वकील वादी के प्राथम पत्र पर  
पेशी में ली गई। वकील वादी ने प्राथम पत्र पेश कर  
निवेदन किया की- विवादीत भूमि क्षेत्र क्रम 770 व  
771 कुल वादादी 5-8400 हेक्टर भूमि को मध्य प्रदेश  
में विक्रय कर दिया है व वादीनी का हिस्सा आज  
तक कायम है वादीनी भी अपने हिस्से का मध्य  
प्रदेश सरकार को विक्रय कर रही है।

मुख


हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

इसलिए वादीनी माननीय न्यायालय में चल रहे खेते  
200 नं 770 व 771 लादारी 5.8400 हीकर पर भूमि  
दाक को वाद विद्वा करने के लिए सहमत हो लाया  
है 200 नं 770 व 771 पर किसी प्रकार का अलोक  
प्राप्त नहीं कराना चाहती है अतः प्राप्ता प्राप्त  
पेय कर निवेदन ही की खेते 200 नं 770 व 771  
की हद तक वाद को विद्वा करने की अनुमति  
एवं अलग से वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान  
करे।

वकील वादी को हुकम। पञ्चावली का  
अवलोकन किया। वादीनी खेते 200 नं 770 व  
771 लादारी 5.8400 हीकर पर भूमि की हद तक  
वाद विद्वा व अलग से वाद प्रस्तुत करने की  
अनुमति प्रदान की जाती है प्रकरण नम्बर से  
करा किया जाकर। दायित्व शहर है।

निर्णय दिनांक 29/12/20 को मुल न्यायालय  
में हुकमा गया।

  
सहायक कलक्टर  
बीकानेर शहर

  
29/12/20  
मुकदमा नं 770 व 771  
पञ्चावली